न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 112/2021 बउनवानी नारायण महावर बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर
पुत्र श्री गोकुल महावर,ग्राम करेल, पोस्ट मलारना चौड तहसील मलारना चौड़

GCMS No-2021/314

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.12.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 25.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. खसरा नम्बर 805 ग्राम करेल मे पोस्ट मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर मे श्री केलाश पुत्र रामफूल मीना के पुराने मकान से मेन रोड के उत्तर की ओर अडगेला तक सरकारी सिवायचक भूमि कितनी बीघा है जिसकी सूचना एवं नक्शा ट्रेस की भी सूचना
2. ख0न0 805 ग्राम करेल मे श्री केलाश पुत्र रामफूल मीना के पुराने मकान से उत्तर की ओर अडगेला तक सरकारी सिवायचक भूमि पर क्रमशः किन किन व्यक्तियो का कितने कितने समय से कब्जा है उन सभी व्यक्तियों के नाम पिता का नाम जाति सहित पूरे नाम पते सहित की सूचना तथा नाम सहित चिन्हित जगह जिसपर पूर्ण रूपेण कब्जा है उसकी स्पष्ट सूचना।
3. ख0न0 805 ग्राम करेल मे सिवायचक सरकारी भूमि मे कब्जा करने वाले सभी अतिक्रमियो के क्रमशः कब्जे सरकारी सिवायचक भूमि मे से कब्जे कब तक हटाऐगें जिसकी निश्चित तारीक माह वर्ष की सूचना
4. ख0न0 805 में हमारे पूर्वजों का कोली समाज का 50–60 वर्षो से सार्वजनिक कआ व खेड गुनी है इसके नक्शा ट्रेस सहित समस्त दस्तावेजो की मय नक्शा ट्रेस सहित की भी सूचना।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2021/ 510 दिनांक 30.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 25.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगयात 3 पर चाही सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवीाय गयी है तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना अपीलान्ट को व्यक्तिशः उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनंक 25.10.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 पर चाही गयी सूचना यद्यपि प्रश्नात्मक है किन्तु उक्त मे से बिन्दु संख्या 1 व 2 पर चाही गयी [illegible] के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना उचित समझता हूँ। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] में ग्राम करेल मे केलाश मीना के मकान से अडगेला तक [illegible] भूमि की जमाबन्दी [illegible]रा गिरदावरी एवं पी–14 की नकल अपीलान्ट को 15 दिवस मे [illegible]लब्ध करवायी जावे। [illegible]र्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। प[illegible]वली फैसल शुमार होक[illegible] से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:03:00 IST
Reason: SelfAttested